plant, as a result of severe power cuts at Khetri Copper Complex, Rajasthan and (iii) the fall in the grade of ore at Mosaboni Mines, utilised for Concentrator/Smelter at Indian Copper Complex, Bihar.

(b) Hindustan Copper Ltd. made a profit of Rs. 4.34 crores in 1979-80 on account of the sale of toll smelted wire bars, which benefit was not available during 1980-81. The losses incurred by the company during 1980-81 and 1981-82 are as follows:—

Year	Loss (Rs. in crores)
1980-81	10.85
1981-82 (provisional)	36.47

(c) Among others, the following steps are being taken to improve the working results of the Company:—

(i) to meet their power requirements, the company is taking steps to increase their captive power generating capacity;

(ii) a new copper project called the Malanjkhand Copper Project in Madhya Pradesh with a total capacity of 2 million tonnes of ore per annum has been taken up. The first phase of the project with 1 million tonnes ore is expected to be commissioned in July, 1982. The project is expected to attain its installed capacity by July, 1984. With the Malanjkhand Copper Project going on full stream the imports of copper metal are likely to be cut by about 25,000 tonnes thereby saving foreign exchange of about Rs. 32 crores;

(iii) increasing the mining capacity of the existing mines in Bihar and exploitation of the new deposits both in Bihar and Rajasthan.

(iv) to match the increased capacity of the mines the company has commissioned feasibility studies for correspondingly increasing the smelting and refining capacities.

खादी आयोग

318. **श्री राम नरेश कुशवाहा:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में उन सब कुटीर व हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री नहीं की जाती है जिनके लिये खादी आयोग द्वारा वित्त-व्यवस्था की जाती है अथवा मदद दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि खादी भवन, नई दिल्ली में अधिकतर कुटीर व हस्तशिल्प वस्तुओं के नाम पर कुछ प्राइवेट फर्मों से लाखों रुपये की खरीद करके उनके माल को बेचा जाता है, यद्यपि इन प्राइवेट फर्मों का खादी आयोग से न तो किसी तरह का कोई सम्बन्ध है और न ही खादी आयोग ने इन फर्मों को प्रमाणित किया है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजोत चानना) : (क) से (ग) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद और हस्तशिल्प की वस्तुएं बेचता है । ग्रामोद्योग उत्पाद आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से खरीदे जाते हैं किन्तु कुछ हस्तशिल्प की वस्तुएं जोकि खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में नहीं बनाई जाती, निजी फर्मों से जो या तो उत्पादक हैं या व्यापारी हैं और निजी कामगारों से खरीदी जाती हैं । आयोग को हस्तशिल्प की वस्तु बेचने की अनुमति खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन दी गयी है ।